अनुसूचि 14 फार्म सं0–182

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

चामा पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–जोकानी माको, न0–35P

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख.......................................जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 27/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारी सहित
1	2	3
31.7.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 496/रा0 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा मौजा– जोकानी माको, न0–35P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– जोकानी माको, न0–35P में दिनांक 15.07.2019 को श्री मंगला पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री चामा पहाडिया, पिता–स्व0 भीमा पहाडिया, ग्राम–जोकानी माको को मौजा– जोकानी माको, न0–35P में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– जोकानी माको, न0–35P एक प्रधानी मौजा है। जिसके पूर्व प्रधान भीमा पहाडिया थे जिनकी मृत्यु हो गई है। ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री चामा पहाडिया, पिता–स्व0 भीमा पहाडिया, ग्राम–जोकानी माको, थाना–तीनपहाड, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री चामा पहाडिया पूर्व प्रधान भीमा पहाडिया का ज्येष्ठ पुत्र है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बड़–चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते है। अतएव श्री चामा पहाडिया प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री चामा पहाडिया को मौजा– जोकानी माको, थाना न0–35P सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। ज्ञापांक 347/प्र0 दिनांक 1.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	

Scanned with CamScanner